

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा(छ0ग0)

कार्यालयीन पत्र क्रं./14349/वित्त-1/2017, कोरबा दिनांक 13.10.2017 द्वारा डाटा एन्ट्री आपरेटर नियमित की कौशल परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी किया जाकर दिनांक 30.10.2017 तक अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति मंगायी गई थी। उक्त मेरिट सूची के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति किया गया था जिसे चयन समिति द्वारा निराकरण किया गया है, जो निम्नानुसार हैं।

क0	आपत्तिकर्ता का नाम	रोल नं0	विषय	चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि	रिमांक
1	श्री हरेन्द्र कुमार कंवर	110607	<ol style="list-style-type: none"> 1. पर्यवेक्षक द्वारा की बोर्ड में शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन एवं अल्ट्र बटन को नहीं दबाने की बात की गई। 2. मेरे द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन की रोशनी ज्यादा होने से आँखों में जलन होने की आपत्ति जताई गई किन्तु पर्यवेक्षको द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। 3. मेरे द्वारा हिन्दी साफ्टवेयर में सूचना को पढने की बात की गई किन्तु पर्यवेक्षक द्वारा टायपिंग शुरू करने की बात कही गई। 4. जिला निर्वाचन द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों का कौशल परीक्षा लिए जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था किन्तु केवल हिन्दी टायपिंग की परीक्षा आयोजित की गई। 5. परीक्षा हाल में कई परीक्षार्थी द्वारा मोबाईल फोन पकड़ कर बैठे पर आपत्ति/शिकायत की गई है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला निर्वाचन की कौशल परीक्षा का संचालन नोडल अधिकारी एवं चयन समिति के समस्त निगरानी में पर्यवेक्षको द्वारा परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश बताया गया है अतः आपत्ति क्रमांक 1, 2 एवं 3 निराधार है। 2. कौशल परीक्षा हेतु विज्ञापन में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है अतः आपत्ति क्र0 04 निराधार है। 5. नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षको के निगरानी में सभी परीक्षार्थियों का छानबीन के पश्चात ही परीक्षा हाल में प्रवेश करने दिया गया है। अतः परीक्षार्थी द्वारा मोबाईल फोन पकड़ने की बात निराधार है। 	



क्र०	आपत्तिकर्ता का नाम	रोल नं०	विषय	चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि	रिमार्क
2	प्रतिभा बाई पिता श्री जानसिंह ग्राम विजयनगर तह० कटघोरा	110324	<p>1. डाटा एन्ट्री आपरेटर नियमित पद की कौशल परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था।</p> <p>2. प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 12.10.2017 को आफलाइन लिखित परीक्षा हुआ, उसी प्रवेश पत्र के माध्यम से दिनांक 13.10.2017 को आनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से कौशल परीक्षा ली गई जबकी प्रवेश पत्र में आनलाईन के उपर वाईटनर लगा हुआ था।</p> <p>3. दिनांक 13.10.2017 को मात्र हिन्दी में ही कौशल परीक्षा लिया गया है जबकि डाटा एन्टी आपरेटर के पूर्व दिनांक 05.10.2016 को विज्ञापन अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में 25-25 अंक का कौशल परीक्षा लिया गया था।</p> <p>4. डाटा एन्टी आपरेटर के पूर्व में आयोजित प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा के लिए अलग-अलग प्रवेश पत्र जारी किया गया था जबकि इस बार एक ही प्रवेश पत्र में प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा लिया गया है।</p> <p>5. विज्ञापन अनुसार संवर्गवार 1:10 (01 पद के विरुद्ध 10) अभ्यर्थी अर्थात् 5 पद के विरुद्ध 50 अभियार्थी को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाना था लेकिन कौशल परीक्षा के लिए 60 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।</p>	<p>1. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित क्रमांक 13360/वित्त-1/ 2017 कोरबा, दिनांक 25.09.2017 में दिनांक 12.10.2017 को लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर, उक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक वर्गवार 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा दिनांक 13.10.2017 को निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी कोरबा की वेबसाईट www.korba.gov.in में जारी किया गया है एवं लिखित परीक्षा दिनांक 12.10.2017 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उक्त कौशल परीक्षा के संबंध में सूचना देकर हस्ताक्षर लिया गया है।</p> <p>2.. उक्त परीक्षा हेतु जारी किये गये प्रवेश पत्र में लिपकीय त्रुटिवश आनलाईन परीक्षा लिखा गया था जबकि परीक्षा आफलाइन लिया जाना था इस कारण आनलाईन शब्द में वाईटनर लगा कर जारी किया गया था। अतः उक्त आपत्ति निराकरण है। 3. कौशल परीक्षा हेतु विज्ञापन में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है अतः आपत्ति निराधार है।</p> <p>4. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित क्रमांक 13360/वित्त-1/ 2017 कोरबा, दिनांक 25.09.2017 में लिखित परीक्षा दिनांक 12.10.2017 एवं कौशल परीक्षा दिनांक 13.10.2017 को लिये जाने के संबंध में जानकारी कोरबा की वेबसाईट www.korba.gov.in में जारी किया गया है । अतः उक्त आपत्ति निराधार है।</p> <p>5. लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के कौशल परीक्षा हेतु पात्र किया गया है।</p>	

My E A

कृपया:.....

11311

क0	आपत्तिकर्ता का नाम	रोल नं0	विषय	चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि	रिमाक
3	श्री अश्वनी किरण पति श्री धरमपाल सिंह ग्राम झाबर तहसील कटघोरा	110005	<p>1. डाटा एन्ट्री आपरेटर नियमित पद की कौशल परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था।</p> <p>2. प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 12.10.2017 को आफलाइन लिखित परीक्षा हुआ, उसी प्रवेश पत्र के माध्यम से दिनांक 13.10.2017 को आनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से कौशल परीक्षा ली गई जबकी प्रवेश पत्र में आनलाईन के उपर वाईटनर लगा हुआ था।</p> <p>3. दिनांक 13.10.2017 को मात्र हिन्दी में ही कौशल परीक्षा लिया गया है जबकि डाटा एन्टी आपरेटर के पूर्व दिनांक 05.10.2016 को विज्ञापन अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में 25-25 अंक का कौशल परीक्षा लिया गया था।</p> <p>4. डाटा एन्टी आपरेटर के पूर्व में आयोजित प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा के लिए अलग-अलग प्रवेश पत्र जारी किया गया था जबकि इस बार एक ही प्रवेश पत्र में प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा लिया गया है।</p> <p>5. विज्ञापन अनुसार संवर्गवार 1:10 (01 पद के विरुद्ध 10) अभ्यर्थी अर्थात 5 पद के विरुद्ध 50 अभियार्थी को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाना था लेकिन कौशल परीक्षा के लिए 60 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।</p>	<p>1. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित क्रमांक 13360/वित्त-1/ 2017 कोरबा, दिनांक 25.09.2017 में दिनांक 12.10.2017 को लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर, उक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक वर्गवार 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा दिनांक 13.10.2017 को निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी कोरबा की वेबसाईट www.korba.gov.in में जारी किया गया है एवं लिखित परीक्षा दिनांक 12.10.2017 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उक्त कौशल परीक्षा के संबंध में सूचना देकर हस्ताक्षर लिया गया है।</p> <p>2. उक्त परीक्षा हेतु जारी किये गये प्रवेश पत्र में लिपकीय त्रुटिवश आनलाईन परीक्षा लिखा गया था जबकि परीक्षा आफलाइन लिया जाना था इस कारण आनलाईन शब्द में वाईटनर लगा कर जारी किया गया था। अतः उक्त आपत्ति निराकरण है।</p> <p>3. कौशल परीक्षा हेतु विज्ञापन में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है अतः आपत्ति निराधार है।</p> <p>4. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित क्रमांक 13360/वित्त-1/ 2017 कोरबा, दिनांक 25.09.2017 में लिखित परीक्षा दिनांक 12.10.2017 एवं कौशल परीक्षा दिनांक 13.10.2017 को लिये जाने के संबंध में जानकारी कोरबा की वेबसाईट www.korba.gov.in में जारी किया गया है। अतः उक्त आपत्ति निराधार है।</p> <p>5. लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के कौशल परीक्षा हेतु पात्र किया गया है।</p>	

by  & 

क्रमशः.....

क0	आपत्तिकर्ता का नाम	रोल नं0	विषय	चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि	रिमार्क
4.	नन्द लाल कंवर	110320	<p>1. डाटा एन्ट्री आपरेटर नियमित पद की कौशल परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था।</p> <p>2. प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 12.10.2017 को आफलाइन लिखित परीक्षा हुआ, उसी प्रवेश पत्र के माध्यम से दिनांक 13.10.2017 को आनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से कौशल परीक्षा ली गई जबकी प्रवेश पत्र में आनलाईन के उपर वाईटनर लगा हुआ था।</p> <p>3. दिनांक 13.10.2017 को मात्र हिन्दी में ही कौशल परीक्षा लिया गया है जबकि डाटा एन्टी आपरेटर के पूर्व दिनांक 05.10.2016 को विज्ञापन अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में 25-25 अंक का कौशल परीक्षा लिया गया था।</p> <p>4. डाटा एन्टी आपरेटर के पूर्व में आयोजित प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा के लिए अलग-अलग प्रवेश पत्र जारी किया गया था जबकि इस बार एक ही प्रवेश पत्र में प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा लिया गया है।</p> <p>5. विज्ञापन अनुसार संवर्गवार 1:10 (01 पद के विरुद्ध 10) अभ्यर्थी अर्थात 5 पद के विरुद्ध 50 अभियार्थी को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाना था लेकिन कौशल परीक्षा के लिए 60 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।</p>	<p>1. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित क्रमांक 13360/वित्त-1/ 2017 कोरबा, दिनांक 25.09.2017 में दिनांक 12.10.2017 को लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर, उक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक वर्गवार 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा दिनांक 13.10.2017 को निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी कोरबा की वेबसाइट www.korba.gov.in में जारी किया गया है एवं लिखित परीक्षा दिनांक 12.10.2017 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उक्त कौशल परीक्षा के संबंध में सूचना देकर हस्ताक्षर लिया गया है।</p> <p>2.. उक्त परीक्षा हेतु जारी किये गये प्रवेश पत्र में लिपकीय त्रुटिवश आनलाईन परीक्षा लिखा गया था जबकि परीक्षा आफलाइन लिया जाना था इस कारण आनलाईन शब्द में वाईटनर लगा कर जारी किया गया था। अतः उक्त आपत्ति निराकरण है।</p> <p>3. कौशल परीक्षा हेतु विज्ञापन में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है अतः आपत्ति निराधार है।</p> <p>4. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित क्रमांक 13360/वित्त-1/ 2017 कोरबा, दिनांक 25.09.2017 में लिखित परीक्षा दिनांक 12.10.2017 एवं कौशल परीक्षा दिनांक 13.10.2017 को लिये जाने के संबंध में जानकारी कोरबा की वेबसाइट www.korba.gov.in में जारी किया गया है । अतः उक्त आपत्ति निराधार है।</p> <p>5. लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के कौशल परीक्षा हेतु पात्र किया गया है।</p>	

मय १५ १५ १५ कृपया:.....

11511

क्र०	आपत्तिकर्ता का नाम	रोल नं०	विषय	चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि	रिमार्क
5.	दिलीप कुमार	110157	01 पद के विरुद्ध 10 अभियार्थियों को पात्र किया जाना था किन्तु अनारक्षित वर्ग में कुल 02 पद हेतु 26 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में पात्र किया गया है, 33 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों में 02 को पात्र किया गया है और अन्य अभ्यर्थियों में 02 को पात्र किया गया है। जबकि या तो 1:10 में बुलाना था या 33 वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया गया है जबकि नियमित 1:10 में बुलाया जाना था।	लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के कौशल परीक्षा हेतु पात्र किया गया है।	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
श्रीमती नादिक
Dy Collector

Handwritten signature
श.कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)

प्रतिलिपि:-

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ ।
2. उप संचालक जनसम्पर्क विभाग कोरबा को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं कोरबा की विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. सर्व संबंधितको सूचनार्थ ।

Handwritten signature
श.कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)